राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकःआर0एम0पी0यू0 / 1883 / 2025 — दिनांक 24 .सितम्बर. 2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

विषयः सत्र 2025–26 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सत्र 2025–26 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आपके स्तर से मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय से इस सत्र में मान्यता प्राप्त की स्थिति, सीट एवं फीस डिजीटली लॉक कराया जा रहा है। इस सत्र में पोर्टल पर एक सर्टिफिकेट जारी हो रहा है।

अतः विश्वविद्यालय स्तर से आपके द्वारा डिजीटली लॉक किए गये पाठ्यक्रमों, निर्धारित सीट व फीस का सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त की स्थिति, महाविद्यालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी का आदेश, नोडल अधिकारी का नाम, ईमेल आई0डी0, मोबाइल नम्बर (वाट्सअप) मास्टर डाटा लॉक करने वाले व्यक्ति का नाम मोबाइल नम्बर साथ ही रू0 10 / – के स्टाम्प पर शपथ–पत्र अपेक्षित है। कृपया डिजीटली लॉक करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इस सत्र में जो विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम सम्बद्धता प्राप्त है उन्हीं को डिजीटली लॉक किया गया है एवं शासन द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार ही कार्यवाही की गयी है। शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय

(पवन कुमार)
उप कुलसचिव / नोडल अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. निजी सचिव, मा० कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाइल।

उप कुलसचिव

शपथ पत्र का प्रारूप

1. महाविद्यालय का नाम व जनपद
2. महाविद्यालय की ईमेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर
3. नोडल अधिकारी का नाम व ई0मेल, एवं मोबाइल नम्बर
4. मास्टर डाटा लॉक करने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर
5. शपथ पूर्वक शपथकर्ता निम्नलिखित ब्यान करता है–
    1. महाविद्यालय में बिना वेबरजिस्ट्रेशन के प्रवेश नहीं लिया गया हैं।
    2. सम्बन्धित छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जायेगी।
    3. केवल विश्वविद्यालय से सत्र 2025–26 में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को ही संचालित किया जा रहा है तथा उन्ही पाठ्यक्रमों का डाटा लॉक किया गया है।
    4. महाविद्यालय द्वारा सीट एवं फीस विश्वविद्यालय तथा शासनादेशों के अनुपालन में ही लॉक की गयी है।
    5. महाविद्यालय द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि जानकारी असत्य/विसंगत पायी जाती है तो महाविद्यालय प्रबन्धन स्वंय उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षर व मुहर

सचिव प्राचार्य